पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कारपोरेट आईडी नं0:U40101UR2004GOI028675
अधिष्ठान एवं पेंशन अनुभाग (वित्त)
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 9897892702 email:- sao@ptcul.org

पत्रांकः767/अधि0एवं पें0(वि0)/पिटकुल/लेखास्कन्ध/ दिनांकः 19/08/2025

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
पिटकुल.................................... ।

विषयः- चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनमांग में त्रुटि/संशोधन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके कार्यालय द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धन मांग मासिक आधार पर इस कार्यालय को प्रेषित की जाती हैं, जिसको जॉचने पर पाया गया कि कतिपय चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनमांग पत्रों में निम्नलिखित त्रुटि/कमियां पायी गयी हैः–

1. धन मांग के प्रथम पृष्ठ पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति मांग पत्र के अनुरूप कुल धनराशि का अंकन नही किया जाता है। कृपया धनराशि का अंकन करवाना सुनिश्चित करें।
2. धन मांग के प्रथम पृष्ठ में "सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनमांग के साथ संलग्न चिकित्सा कार्यालय ज्ञापनों के विरूद्ध पूर्व में धनमांग प्रस्तुत नही की गयी है" का प्रमाणपत्र अकिंत नहीं किया जा रहा हैं। कृपया प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनमांग के साथ सलग्न चिकित्सा कार्यालय ज्ञापनों में बिमारी/रोग का नाम अंकित नही किया जाता है। कृपया प्रत्येक चिकित्सा स्वीकृति कार्यालय ज्ञापन में सम्बन्धित बिमारी का उल्लेख करवाना सुनिश्चित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार त्रुटि/कमियों का निराकरण करने के उपरांत ही आगामी चिकित्सा प्रतिपूर्ति धनमांग पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

19/8/25

(तरूण सिंघल)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

पत्रांकः /अधि0एवं पें0(वि0)/पिटकुल/लेखास्कन्ध/ तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महाप्रबन्धक(वित्त), पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू0पौ0),पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को पिटकुल की बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(तरूण सिंघल)
वरिष्ठ लेखाधिकारी